भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
मिनिरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भाप्रमुमुनिनिलि/सर्त/84/11/3505

दिनांक: 06.07.2011

परिपत्र

विषय: कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए लाईसेंस।

कीट नियंत्रण सेवाओं से संबंधित एक शिकायत की जांच के दौरान यह देखा गया कि संबंधित स्थान पर (अर्थात् संबंधित इकाई के स्थल के लिए) कीट नियंत्रण दवाओं के छिड़काव के लिए अपेक्षित लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था। कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमए 1971 के अनुसार प्रत्येक स्थान पर कीट नियंत्रण छिड़काव के लिए लाईसेंस जारी करना अपेक्षित है।

2. सभी संबंधितों को यह सलाह दी जाती है कि संबंधित स्थान (अर्थात् संबंधित इकाई के स्थल के लिए) पर छिड़काव करने के लिए व्यावसायिक कीट नियंत्रण छिड़काव हेतु अपेक्षित लाईसेंस प्राप्त कर लिया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कार्य कराने हेतु इस खंड को निविदा दस्तावेजों में भी शामिल किया जाए यदि यह मौजूदा अनिवार्यता नहीं है। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें तथा सभी संबंधितों द्वारा इनका अनुपालन किया जाए। इकाईयों के प्रयोक्ता/मांग अनुभाग के मुखिया की यह सुनिश्चित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा इसके अनुपालन न होने से इसे सतर्कता दृष्टिकोण से देखा जाएगा।

3. इस परिपत्र का यथासंभव व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए। इसे इकाई की वेबसाईट पर अपलोड किया जाए तथा अनुभागीय सूचना पटल पर भी लगाया जाए।

4. इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी भाप्रमुमुनिनिलि के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(ए.के.रे.)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष
(टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना)
भाप्रमुमुनिनिलि

011-23701225-26
011-23701141-42
16 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001
फैक्स/Fax : 011-23701223
E-mail : spmcil@rediffmail.com

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सचिव।
2. निदेशक (तक.)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा.सं.)/मुख्य सतर्कता अधिकारी।
3. सभी महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)/उप मुख्य सतर्कता अधिकारी।
4. प्रबंधक (रा.भा.)
5. सभी सतर्कता कर्मी (निगम मुख्यालय/इकाईयॉ)
6. सूचना पटल।